न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 99 / 2021

1 हीरासिंह आयु 69 साल पुत्र स्व. लिछमणराम जाति जाट पेशा कृषि निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती मनभरी देवी आयु 96 साल पत्नी स्व. चन्दगीराम
2 औकारमल आयु 69 साल पुत्र स्व. चन्दगीराम
3 रामदेव आयु 65 साल पुत्र स्व. चन्दगीराम
4 होशियार सिंह आयु 46 साल पुत्र स्व. चन्दगीराम
जाति जाट निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 श्रीमती इन्द्रावती पुत्री स्व. चन्दगीराम पत्नी रविन्द्र
6 श्रीमती फुलड़ी पुत्री स्व. चन्दगीराम पत्नी कमलसिंह
जति जाट निवासी टोडा की ढाणी तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।
7 श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व. चन्दगीराम पत्नी सुबेसिंह जाति जाट निवासी सेडु की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8 श्रीमती कम्मो देवी पुत्री स्व. चन्दगीराम पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी सुरेती छोटी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
9 श्रीमती केला देवी रणसिंह उर्फ मुलजी जाति जाट निवासी लोकरी तहसील पटोदी जिला गुरूग्राम (गुड़गांव) (हरियाणा) हाल निवासी वार्ड नम्बर 5 सूरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
10 श्रीमती शकुन्तला पत्नी शीशराम जाति जाट निवासी ततारपुर तहसील मण्डावर जिला अलवर हाल निवासी वार्ड नम्बर 5 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
11 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
12 राजवीर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 छोटेलाल पुत्रगण स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
14 श्रीमती किताबों
15 श्रीमती ज्ञाना
16 श्रीमती बाईदेवी
17 श्रीमती सन्तरों
18 श्रीमती मुन्नी देवी पुत्रीगण स्व. भगवाना जाति जाट निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
19 भोलाराम पुत्र स्व. लिछमणराम
20 महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. लिछमणराम
21 सुभाष पुत्र स्व. लिछमणराम
22 मायाकोर पुत्री स्व. लिछमणराम
23 सुनेहरी पुत्री स्व. लिछमणराम
24 सजना पुत्री स्व. लिछमणराम
25 सुमित्रा पुत्री स्व. लिछमणराम
26 प्यारेलाल पुत्र स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 225 राज. काश्त.अधिनियम 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं दिनांक 18.10.2021 बमुकदमा उनवानी
हीरासिंह वगै. बनाम मनभरी वगै. आवेदन पत्र अ. आदेश 09
नियम 09 सि.प्र.स. मु.नं. 33/2020

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील भू-प्रबन्ध • सीकर •

—निर्णय—

दिनांकः— 12/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 33/2020 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व प्यारेलाल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में दावा उनवानी हीरासिंह वगै. बनाम मनभरी आदि दावा घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 108/2011 पेश किया। उक्त उनवानी दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में स्थानान्तरण होकर पेश हुआ जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में दावा उनवानी हीरासिंह वगै बनाम मनभरी वगै. दावा संख्या 39/2012 चला। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने दावा संख्या 39/2013 को दिनांक 12.10.2018 को वादीगण की अदम हाजरी में खारिज कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 26 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में आदेश दिनांक 12.10.2018 को अपास्त करवाने के लिये आवेदन पत्र उनवानी हीरासिंह आदि बनाम मनभरी आदि आवेदन पत्र अ. आदेश 09 नियम 09 सि.प्र.स. मु.नं. 33/2020 मय धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया। इस आवेदन पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 18.10.2021 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के आदेश दिनांक 18.10.2021 को अपास्त करवाने व आवेदन पत्र अ.आदेश 09 नियम 09 सि.प्र.स. व धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करवाने के लिये यह अपील पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश 09 नियम 09 सि.प्र.स. के तहत केवल यह देखना होता है कि वाद पत्र सुनवाई के लिये नियुक्त हो तब प्रतिवादी उपस्थित होता है व वादी अनुपस्थित होता है तो स्वीकारोक्ति न होने पर दावा खारिज किया जायेगा। दावा दिनांक 07.04.2011 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में पेश किया गया व पेशी दिनांक 10.05.2011 दी गयी। लेकिन इस पेशी पर पत्रावली पेशी में नहीं आयी व दिनांक 09.06.2011 को तलबी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हेतु पेशी दिनांक 26.07.2011 दी गयी। दिनांक 26.07.2011 को प्रतिवादीगण को सम्मन प्राप्त होना आदेशिका में अंकित है लेकिन दिनांक 26.06.2012 तक रीडर द्वारा पेशीया दी जाती रही व दिनांक 27.08.2012 को प्रतिवादी नम्बर 3 से 10 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन पेश करने का आदेश दिया गया। इसके बाद दिनांक 27.05.2013 को तलबी प्राप्त होना अंकित किया हुआ है व पेशी दिनांक 08.07.2013 दी गयी लेकिन इस पेशी के बाद यह पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ में दिनांक 07.09.2013 को स्थानान्तरित होकर पेश होना व दर्ज होना अंकित किया हुआ है। यह कही भी अंकित नहीं है कि पक्षकारान को दिनांक 03. 10.2013 की पेशी के नोटिस जारी किये गये हो। इसके बाद अधिकतर मोहर लगाकर रीडर द्वारा पेशीयां करीब 5 साल तक दी जाती रही व अपीलान्ट के अभिभाषक ने कहा कि कार्यवाही होने पर सूचित कर दिया जावेगा। विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.10.2018 व उससे पूर्व की आदेशिकागण पर गौर किये बिना ही प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भूल की है। प्रतिवादीगण या उसके अभिभाषकगण कभी भी उपस्थित हुये हो ऐसा भी अंकन नहीं है। आदेश 09 नियम 3 सि.प्र.स. में प्रावधान है कि कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो दावा खारिज किया जावेगा लेकिन आदेश 09 नियम 4 सि.प्र.स. में प्रावधान है कि आदेश 09 नियम 2 व 3 सि.प्र.स. में दावा खारिज होने पर वादी को नया दावा लाने का हक रहेगा। दिनांक 12.10.2018 को प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 5 में से कोई भी उपस्थित नहीं था। यह आदेशिका से सिद्ध है व यह भी सिद्ध है कि अपीलान्ट/वादी ने दावे में अभिभाषक नियुक्त कर रखा था व अभिभाषक ने अपना अभिभाषण पत्र विड्रा नहीं किया और न ही अभिभाषक ने अपीलान्ट को सूचना दी कि सुनवाई के रोज उपस्थित नहीं हो सकेगा। इसके अलावा पेशी दिनांक 03.08.2018 को दावे में क्या कार्यवाही होनी है यह अंकित किया हुआ नहीं है व रीडर द्वारा पेशी दी जाना अंकित है। पीठासीन अधिकारी के न होने पर पेशीयां दी जाती रही व अभिभाषक ने

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

कहा कि आवश्यकता होने पर उन्हे दुरभाष पर सूचित कर बुला लिया जायेगा व पुछने पर यही जवाब मिलता रहा। विचारण न्यायालय ने बिना युक्ति आधार के अवैध आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इस कारण आदेश दिनांक 18.10.2021 खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 4 के अलावा अन्य किसी रेस्पोडेन्ट ने आवेदन पत्र पर आपत्ति नहीं की। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 4 को आपत्ति करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वह स्वयं की उपस्थित नहीं हुये थे। आदेश की जानकारी का स्त्रोत आवेदन पत्र व शपथ पत्र में दर्ज किया है व अभिभाषक की भूल के लिए अभिभाष्य पर दायित्व डालना न्यायोचित भी नहीं है। विचारण न्यायालय ने आदेशिकागण का विवेचन व अवलोकन बिना ही विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। तारीख पेशीयों की सूचना दी जाना आदेशिका में प्रकट नहीं होता बल्कि दो बार तलबी प्राप्त होना आदेशिका में अंकित किया हुआ है। उसके बाद तलबी का आदेश पारित नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर है कि विचारण न्यायालय ने बिना न्यायिक अवलोकन के प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भुल की है। दावा खातेदारी हकुक व विभाजन का है। इस कारण न्याय की दृष्टि के उदार रूख अपनाया जाना न्यायोचित है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2024(2) राज पेज 1133, डीएनजे 2024(1) रेव पेज 305, डीएनजे 2021(1) रेव पेज 226 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष मूलवाद उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा से उपखण्ड कार्यालय सूरजगढ़ में स्थानान्तरित हुआ था। स्थानान्तरण से पत्रावली सूरजगढ़ में प्राप्त होने पर नया मुकदमा नम्बर 39/2013 दर्ज किया गया। विचारण न्यायालय में दावा दर्ज होने के उपरांत दिनांक 03.10.2013 व 22.10.2013 को वादी अपीलान्ट का वकील न्यायालय में उपस्थित हुआ है। इसके उपरांत वादी एवं उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 12.10.2018 को विधि अनुसार दावा अदम हाजरी एवं

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अदम पैरवी खारिज किया गया है। इस वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु वादी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06.02.2020 को 2 साल के असाधारण विलम्ब से आवेदन आदेश 09 नियम 09 प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं होने एवं जानबुझकर तामील प्रस्तुत नहीं करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का आवेदन 09 नियम 09 खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष मूलवाद उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा से उपखण्ड कार्यालय सूरजगढ़ में स्थानान्तरित हुआ था। स्थानान्तरण से पत्रावली सूरजगढ़ में प्राप्त होने पर नया मुकदमा नम्बर 39/2013 दर्ज किया गया।

विचारण न्यायालय में दावा दर्ज होने के उपरांत दिनांक 03.10.2013 व 22.10.2013 को वादी अपीलान्ट के वकील की न्यायालय में उपस्थित होने का आदेशिका में अंकन है किन्तु आदेशिका पर उपस्थिति के संदर्भ में वादी अथवा उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा स्थानान्तरण से पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत वादी को नोटिस जारी किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इसके उपरांत वादी एवं उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 12.10.2018 को विधि अनुसार दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी खारिज किया गया है।

इस वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु वादी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06.02.2020 को 2 साल के विलम्ब से धारा 5 के आवेदन के साथ आवेदन आदेश 09 नियम 09 प्रस्तुत किया गया है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने हेतु विचारण न्यायालय को आवेदन आदेश 09 नियम 09 स्वीकार करना चाहिए था। ऐसा नही कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट 1000/– कोष्ट पर स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 18.10.2021 एवं मूलवाद संख्या 39/2013 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2018 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मूलवाद संख्या 39/2013 में विधिक प्रकिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)